# <u>न्यायालय : विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम धौलपुर (राजस्थान)</u>

**पीठासीन अधिकारी:** **संजीव मागो**, **RJS (DJ Cadre)**

**विविध फौजदारी प्रकरण सं.** **512/2026**

धर्मेन्द्र पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासी सहजपुर, थाना दिहौली, जिला-धौलपुर (राज.)

....**प्रार्थी/सुपुर्दगीदार**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, धौलपुर।

**....अभियोगी**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 503 बी एन एस एस बावत् सुपुर्दगी मोबाईल **IMEI No.358480586606446 व 500 रूपये**, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **233/2025** थाना निहालगंज, धौलपुर

उपस्थितः-

**01.** विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत सिंह लोधा, प्रार्थी/सुपुर्दगीदार की ओर से।

**02.** श्री बी.एस. नारौलिया, विद्वान लोक अभियोजक, वास्ते सरकार।

-: **आदेशः-** **दिनांक: 11/06/2026**

**1.** प्रार्थी/सुपुर्दगीदार की ओर से सुपुर्दगी का उक्त आवेदन अंतर्गत धारा 503 बी एन एस एस पेश किया गया जिस प्रार्थना पत्र की प्रति लोक अभियोजक को प्रदान की गयी, उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, संबंधित अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।

**2.** प्रार्थी/सुपुर्दगीदार की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफ आई आर नंबर 233/25 थाना निहालगंज, धौलपुर के प्रकरण में उसका मोबाईल व रूपये जब्त हैं प्रकरण में मोबाईल से अन्बेषण किया जा चुका है लेकिन प्रार्थी का मोबाईल व 500/-रूपये थाने में ही हैं मोबाईल का उचित रख-रखाव न होने से उसके खराब होने की पूरी संभावना है। प्रार्थी उक्त मोबाईल का स्वामी है और न्यायालय द्वारा उक्त मोबाईल को प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु न्यायालय की शर्तों की पालना करने को वचनबद्ध है अतः मोबाईल **IMEI No. 358480586606446** व **500 रूपये,** को सुपुर्दगी पर प्रार्थी को सुपुर्द किया जावे।

**3.** विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त प्रार्थना पत्र का विरोध किया व कथन किया कि यदि मुल्जिम की सुपुर्दगी पर मोबाईल दिया जावे तो मुल्जिम उसे जरूरत पड़ने पर न्यायालय में पेश कर दे व मोबाईल व सिम से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करे तो मोबाईल को प्रार्थी की सुपुर्दगी पर दिया जा सकता है।

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
11.06.2026 12:54
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"

4. उभय पक्ष के तर्कों पर गौर किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

**4.** उक्त मोबाईल व पांच सौ रूपये प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 233/25 थाना निहालगंज धौलपुर में प्रार्थी की तलाशी के दौरान मिलना उसकी फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है। चूंकि प्रकरण अनुसंधान के स्तर पर है व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कागजात/बिल से प्रार्थी मोबाईल **IMEI No.358480586606446** का स्वामी होना प्रतीत हो रहा है**,** प्रार्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने इस मोबाईल के लिए सुपुर्दगी का कोई क्लेम भी नहीं किया है। अतः प्रार्थी मोबाईल **IMEI No.358480586606446** व 500 रूपये**,** को निम्न शर्तों पर सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकारी है।

**7.** फलतः प्रार्थी धर्मेन्द्र का सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मोबाईल **IMEI No. 358480586606446 व 500 रूपये,** की सुपुर्दगी प्रार्थी को निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

**1.** प्रार्थी उक्त मोबाईल **IMEI No.358480586606446** व 500 रूपये**,** की सुपुर्दगी हेतु 20 हजार रूपये का सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करेगा।

**2.** प्रार्थी उक्त मोबाईल के रंगीन फोटो प्रस्तुत करेगा।

**3.** साथ ही इस शर्त से आबद्ध रहेगा कि प्रकरण के निस्तारण तक उक्त मोबाईल का स्वामित्व अथवा वैध रूप से भौतिक कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करेगा। मोबाईल के भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा**,** न्यायालय जब भी मोबाईल को तलब करे स्वयं ही न्यायालय में पेश करेगा।

**(संजीव मागो)**
**विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं**
**मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम धौलपुर**

**8.** यह आदेश आज दिनांक 11/06/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

**(संजीव मागो)**
**विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं**
**मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम धौलपुर**

Signature Not Verified
MANOJ VERMA
I attest to the accuracy and authenticity of this document
11.06.2026 12:54
Stenographer Gr.-I "Authenticated Document"